राजस्व लोक अदालत

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 21 / 2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करणाराम पुत्र हीराराम 2 जेठाराम पुत्र हीराराम 3 पुसाराम पुत्र हीराराम 4 प्रभुराम पुत्र हीराराम जातियान जाट निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर।		1. हजारीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर। 2 राजस्थान जरिये तहसीलदार नागौर।

दावा बाबत बंटवाडा व घोषणा खातेदारी इत्यादि वाद पत्र अधीन धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 15.06.2016

वादीगण की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :-

1 यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस मे सगे भाई है तथा स्वर्गीय हीराराम पुत्र मगनाराम के पुत्रगण है।

2 यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि सरहद मौजा रोहिणी मे स्थित है। खसरा नम्बर 14 रकबा 07 बिस्वा,खसरा नम्बर 15 रकबा 87 बीघा, खसरा नम्बर 87 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी में दर्ज है।

खसरा नम्बर 72 रकबा 28 बीघा,खसरा नम्बर 73 रकबा 32 बीघा ,खसरा नम्बर 74 रकबा 33 बिघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 125 बीघा 16 बिस्वा सरहद मौजा रोहिणी में स्थित है, इन खेतों मे से 30 बिघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी हजारीराम के नाम से है, यह भूमि हम वादीगण व प्रतिवादी हजारीराम की संयुक्त परिवार की भूमि रहती चली आई है, परन्तु अकेले हजारीराम के नाम से दर्ज हो रखी हैं । यह भूमि पेतृक भूमि थी, मगर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से दर्ज थी, इसलिए यह भूमि वापिस नाम कराने वक्त परिवार का कर्ता खानदन हजारीराम होने से उनके नाम से करवा दी थी मगर हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की जमीन है व संयुक्त रुप से ही काश्त करते आये है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। पत्रावली **अटल सेवा केन्द्र गंठीलासर "न्याय आपके द्वार 2016"** में प्रस्तुत हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करने की सहमति मजमे आम में दी गई। पक्षकारान को सुना गया। वादग्रस्त खेताय में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार दर्ज है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

क वादी संख्या 1 करणााराम के बंट में खसरा नम्बर 87 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 06 बिस्वा पश्चिनी सीमा के पास खेत की पूरी लम्बाई तक कुल 34 बीघा तन्हा बंट में घोषित किये जाते है।

ख वादी संख्या 2 जेठाराम के बंट में खसरा नम्बर 14 रकबा 07 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 15 रकबा 87 बीघा में से 29 बीघा 19 बिस्वा पश्चिमी तरफ का खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा उत्तर पूर्वी तरफ का कुल 34 बीघा 01 बिस्वा तन्हा बंट में घोषित किये जाते है।

ग वादी संख्या 3 फूसाराम के बंट मे ख.न. 15 रकबा 87 बीघा मेंसे 23 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी कोने पर तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 92 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा , खसरा नम्बर 99 रकबा 8

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बीघा 12 बिस्वा कुल 43 बीघा 16 बिस्वा में स्वर्गीय हीराराम का 1/4 हिस्सा की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि बनती है जो पूरा हिस्सा फुसाराम के बंट मे रखा है। इन खेतो में अन्य खातेदरान की सह खातेदारी है, ऐसी दशा में उक्त संयुक्त खाते में वादीगण करणाराम, जेठाराम,प्रभुराम व प्रतिवादी हजारीराम का नाम हटा दिया जावे, स्वर्गीय हीराराम के हिस्सा की हद तक अकेले फुसाराम की खातेदारी दर्ज कर दी जावे। जो अन्य सह खातेदारान के मध्य अपना बंट करवाकर अपना हिस्सा की भूमि प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

घ वादी संख्या 4 प्रभुराम के बंट में खसरा नम्बर 15 रकबा 87 बीघा में से 34 बीघा भूमि फुसाराम के पश्चिम मे व उतर में रखी गई है, कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

ङ प्रतिवादी संख्या 1 हजारीराम के बंट में खसरा नम्बर 72 रकबा 28 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 32 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 75 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा कुल 125 बीघा 16 बिस्वा में से 30 बीघा 05 बिस्वा अन्य के साथ सह खातेदारी में यथावत रहेगी। तथा खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी तरफ की रखी है कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 15.06.2016 को मजमे आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 21/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. करणाराम पुत्र हीराराम 2 जेठाराम पुत्र हीराराम 3 पुसाराम पुत्र हीराराम 4 प्रभुराम पुत्र हीराराम जातियान जाट निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर।		1. हजारीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासीगण रोहिणी तहसील व जिला नागौर। 2 राजस्थान जरिये तहसीलदार नागौर।

दावा राजस्व मुकद्दमा 21/2016 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादी संख्या 1 करणाराम के बंट में खसरा नम्बर 87 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 06 बिस्वा पश्चिमी सीमा के पास खेत की पूरी लम्बाई तक कुल 34 बीघा तन्हा बंट में घोषित किये जाते है।

वादी संख्या 2 जेठाराम के बंट में खसरा नम्बर 14 रकबा 07 बिस्वा पूरा, खसरा नम्बर 15 रकबा 87 बीघा में से 29 बीघा 19 बिस्वा पश्चिमी तरफ का खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा उत्तर पूर्वी तरफ का कुल 34 बीघा 01 बिस्वा तन्हा बंट में घोषित किये जाते है।

वादी संख्या 3 फूसाराम के बंट मे ख.न. 15 रकबा 87 बीघा मेंसे 23 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी कोने पर तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 92 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा , खसरा नम्बर 99 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल 43 बीघा 16 बिस्वा में स्वर्गीय हीराराम का 1/4 हिस्सा की 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि बनती है जो पूरा हिस्सा फुसाराम के बंट मे रखा है। इन खेतो में अन्य खातेदरान की सह खातेदारी है, ऐसी दशा में उक्त संयुक्त खाते में वादीगण करणाराम, जेठाराम,प्रभुराम व प्रतिवादी हजारीराम का नाम हटा दिया जावे, स्वर्गीय हीराराम के हिस्सा की हद तक अकेले फुसाराम की खातेदारी दर्ज कर दी जावे। जो अन्य सह खातेदारान के मध्य अपना बंट करवाकर अपना हिस्सा की भूमि प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

वादी संख्या 4 प्रभुराम के बंट में खसरा नम्बर 15 रकबा 87 बीघा में से 34 बीघा भूमि पुसाराम के पश्चिम मे व उत्तर में रखी गई है, कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

प्रतिवादी संख्या 1 हजारीराम के बंट में खसरा नम्बर 72 रकबा 28 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 32 बीघा, खसरा नम्बर 74 रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 75 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा कुल 125 बीघा 16 बिस्वा में से 30 बीघा 05 बिस्वा अन्य के साथ सह खातेदारी में यथावत रहेगी। तथा खसरा नम्बर 821/82 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 15 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी तरफ की रखी है कुल 34 बीघा भूमि तन्हा बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाते है।

.... लीज .... मुबलिक .... बाबत .... खर्चा इस मुकदद्मे मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 06 सन् 2016

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दयला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर